



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल कामप्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120.2321024

सन्दर्भ संख्या : 1213/NGT-64/23

दिनांक : 21/1/24

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ई०पी०आई०पी०, साइट-5,
ग्रेटर नोएडा।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता (सदस्य, जिला गंगा समिति) के ई-मेल दिनांक 29.12.2023, जो कि जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के साथ श्री हिमांशु शेखर झा, शिवालिक होम सोसाइटी, सूरजपुर साइट-सी, ग्रेटर नोएडा के पत्र दिनांक 05.11.2023 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है, जिसमें उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत स्थित सूरजपुर साइट-सी में सीवर निस्तारण की उचित व्यवस्था न होने, नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था न होने सम्बन्धी समस्या से अवगत कराया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 29.12.2023 को इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा ग्रेटर नोएडा में उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत स्थापित कुल 02 एसटीपी (3.6 एमएलडी एसटीपी ई०पी०आई०पी० साइट-5, कासना तथा 6 एमएलडी एसटीपी साइट-बी, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त दोनों एसटीपी का संचालन नहीं किया जा रहा है तथा दोनों एसटीपी वर्तमान में निष्प्रयोज्य अवस्था में हैं।

उल्लेखनीय है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में हिण्डन नदी के जल गुणता सुधार एवं अनुश्रवण कार्य हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के निर्देशों के अनुक्रम में जिला स्तर पर एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, जिसमें आपको भी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। उक्त समिति द्वारा जनपद में हिण्डन नदी कैचमेन्ट एरिया में अनाधिकृत रूप से निस्तारित किये जा रहे नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं अशुद्धीकृत घरेलू उत्प्रवाह पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की रोकथाम हेतु मा० एन०जी०टी० द्वारा जनपदवार सुनवाई की जानी है तथा एन०जी०टी० के आदेश में वर्णित विभिन्न कार्यवाही के बिन्दुओं पर जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित "जिला गंगा सुरक्षा समिति" के माध्यम से जनपदवार सूचनायें तैयार कर मा० एन०जी०टी० को प्रेषित की जानी हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत स्थापित औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं से जनित घरेलू सीवेज आंकलन करते हुये उक्त के शोधन हेतु पूर्व से स्थापित एसटीपी का संचालन सुनिश्चित किये जाने तथा शेष उत्प्रवाह के शोधन हेतु उपयुक्त क्षमता के नवीन एसटीपी की स्थापना किये जाने हेतु प्रस्ताव/समयबद्ध क्रियान्वयन कार्यक्रम इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।

01.01.2024
(डी० के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता (सदस्य, जिला गंगा समिति), गौतमबुद्धनगर।

01.01.2024

क्षेत्रीय अधिकारी

Fwd: Regarding directions issued by Honorable National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in OA 859 of 2022 titled Abhisht Kusum Gupta vs State of UP and ors

dmgbn <dmgbn@nic.in>

29 December 2023 at 18:19

To: ronoida <ronoida@uppcb.in>, rogreaternoida <rogreaternoida@uppcb.in>

From: abhisht88@gmail.com

To: "CHIEF SECRETARY GoUP" <csup@nic.in>

Cc: psforest2015@gmail.com, sachivforest@gmail.com, sjmathews@gmail.com, manoj4others@gmail.com, "dmgbn" <dmgbn@nic.in>, pramods0786@gmail.com, dfonoida@gmail.com, ronoida@uppcb.in, ceo@noidaauthorityonline.com, ceo@gnida.in, "commsah commsah" <commsah@nic.in>, "commmee" <commmee@nic.in>, "Jitendra pratap singh" <dmbag@nic.in>, "District Magistrate, Ghaziabad" <dmgha@nic.in>, "District Magistrate, Meerut" <dmme@nic.in>, "DM MUZAFFARNAGAR" <dmmuz@nic.in>, "Commissoner of Police, Gautam Buddh Nagar" <cp-pol.gb@up.gov.in>, "Control Room, DGP Office UP Police, Lucknow" <dgpcontrol-up@nic.in>, "ADG LO, UP POLICE" <adglo.up@nic.in>, "igestt" <igestt@up.nic.in>, "ADG Karmik" <adgkarmik@nic.in>, "supremecourt sci" <supremecourt@nic.in>, "Consultant Judicial-NGT(P.B.)" <judicial-ngt@gov.in>, "Registrar General" <rg.ngt@nic.in>, "Deputy Registrar" <dr.ngt@nic.in>

Sent: Friday, December 29, 2023 6:15:16 PM

Subject: Re: Regarding directions issued by Honorable National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in OA 859 of 2022 titled Abhisht Kusum Gupta vs State of UP and ors

Dear Sir

Your Industrial department is complete failure, as they failed to comply with the environmental norms continuously for the last 7 years (Please go through the message recieved from one of the residents there on my whatsapp and email attached for your reference)

[[

Gd Morning Abhisht ji. Myself Himanshu Shekhar Jha from Shivalik Homes Society, Surajpur Site C Group Housing Extn-2, Greater Noida. Sir, there is 6 builder societies in this area. This area comes under UPSIDA. Sir, there is no sewage line in this area. All builders of this area releasing sewage water of their society in open drain without treating through STP. Sir, if possible pls also raise this issue with UPSIDA & UP PCB. Thanks & regards Himanshu Shekhar Jha

&

Sir, my email communication with DM, G.B Nagar. I had a discussed the issue with DM Sir when he visited this area on 05/11/23 along with Sh. Manoj Kumar Singh, Additional Secretary, UP Pollution & on his instruction I had send this email to him.

]]

Worst part of the story UPSIDA has 2 non operational STPs

- APIP (Site V Kasna) 3.6 MLD
- Site B Surajpur Industrial Area 6 MLD

This type of lackadaisical and apathetic attitude deserve highest level of punishment without any remorse and empathy. Your Industry Department under the above mentioned leadership has completely failed to live upto the expectations as far as environmental norms are concerned.

If I have to define work of your official, it is total disaster.

Though I am writing to you this, but know very well that no action will be taken as usual.

Regards

AEE II / ASD
 UPSIDA को STP के संचालन
 एवं शकिलम पर प्रेषित किया
 जाते।
 Anam
 01-01-24

यूपीसिडा अंतर्गत सूरजपुर साइट सी गुप हाउसिंग विस्तार एरिया, ग्रेटर नोएडा की मुख्य समस्याएं ।

2 messages

Himanshu Shekhar <hshekhar77@gmail.com>
To: dmgnb@nic.in
Bcc: Himanshu Shekhar <hshekhar77@gmail.com>

Sun, 5 Nov 2023 at 15:09

आदरणीय डीएम सर,

सर, आज आपके सूरजपुर साइट सी गुप हाउसिंग विस्तार एरिया के स्थलीय निरीक्षण के समय में और शिवालिक होम्स सोसाइटी के अन्य निवासियों ने आपसे मुलाकात किया एवम आपके सामने यहां कुछ मुख्य समस्याओं को रखा जो निम्नलिखित हैं :

1) इस एरिया में सीवर की बहुत बड़ी समस्या है जिसपर पिछले 7 वर्षों से हमारे कंप्लेंट करने के बाद भी कोई कार्य नहीं हुआ है।

2) यह एरिया वायु प्रदूषण से भी वर्ष भर ग्रहित रहता है और इस एरिया की नार्थी मशीन द्वारा और नार्थी मैनुअल साफ सफाई होती है और कूड़ा निष्पादन का भी प्राधिकरण द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

3) सर, प्राधिकरण द्वारा प्रदूषण को देखते हुए पूरे एरिया एवम पेड़ों पर Water Sprinkling नियमित अंतराल में डेली करवाना चाहिए।

4) सर, इस एरिया में बच्चों, बुजुर्ग एवम अन्य निवासियों के लिए प्राधिकरण द्वारा कोई पार्क विकसित नहीं किया गया जिससे बच्चों को खेलने एवम बुजुर्गों एवम अन्य निवासियों को टहलने एवम योग और व्यायाम करने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं मिलती है।

5) शिवालिक होम्स की बगल के पार्क के लिए डेजिग्नेटेड एरिया जिसमें इस एरिया के निवासी स्वयं से पार्क में मिट्टी भरवा कर एवम साफ सफाई करवा कर हर वर्ष छठ पूजा बड़े धूमधाम से करते थे लेकिन इस बार प्राधिकरण ने जानबूझकर कुछ स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर इस पार्क को एक नए बने एनजीओ को एडॉप्ट करवा दिया है ग्रीन बेल्ट विकसित करने के बहाने और वह एनजीओ अब इस पार्क में बच्चों को खेलने से भी मना कर रही है और इस मुद्दे पर 2 से 3 बार कंप्लेंट स्थानीय पुलिस तक भी पहुंची है। आपसे इस मैटर पर पहले भी कंप्लेंट की गई थी जिसके लिए आपने आरएम यूपीसिडा को पार्क एडोप्टेशन कैंसल करने के लिए कहा था लेकिन आरएम ने अभी तक आपके निर्देश का पालन सुनिश्चित नहीं किया है।

सर, आपसे विनम्र निवेदन है कि उपयुक्त समस्याओं को सहानभूति पूर्वक देखते हुए उचित करवाई के लिए संबंधित विभाग एवम अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

हिमांशु शेखर झा ,
शिवालिक होम्स सोसाइटी ।
मोबाइल: 9560391741



dmgnb <dmgnb@nic.in>
To: hshekhar77@gmail.com

Tue, 7 Nov 2023 at 10:05

Sir/Ma'am,
Your mail has been sent to RM UPSIDC for action.

From: hshekhar77@gmail.com
To: "dmgnb" <dmgnb@nic.in>
Sent: Sunday, November 5, 2023 3:09:51 PM
Subject: यूपीसिडा अंतर्गत सूरजपुर साइट सी गुप हाउसिंग विस्तार एरिया, ग्रेटर नोएडा की मुख्य समस्याएं ।
[Quoted text hidden]